



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (32)आकाशि/नि.सं./2015/ 896

दिनांक- 23/12/2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2020-21 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय /विषय
सरस्वती शिक्षा समिति, प्लॉट नं 318, वाई नं 6, एन.बी. शारत्री नगर, टेक्नोलॉजी पार्क, एन.एच. 11, आगरा-जयपुर बाईपास, सेवर, भरतपुर।	श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज, टेक्नोलॉजी पार्क, वाई नं 6, एन.एच. 11, आगरा-जयपुर बाईपास, सेवर, भरतपुर।	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय-हिन्दी सा०, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, संस्कृत सा०, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन विज्ञान संकाय-वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित।

1. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश-दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशिक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में भू-रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

(Signature)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

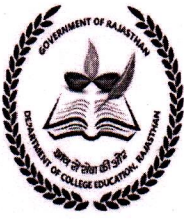
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशेष सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
4. कुल सचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
संयुक्त

संयुक्त-निदेशक ;नि०सं०
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

(Signature)
प्राचार्य
श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज
टेक्नोलॉजी पार्क
सेवर, भरतपुर



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (32)आकाशि/नि.सं./2015/1367

दिनांक:- 12-01-2023

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय/विषय
सरस्वती शिक्षा समिति, प्लॉट नं. 318, वार्ड नं. 6, एन.एच. 11, आगरा-जयपुर बाईपास, सेवर, भरतपुर।	श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज, टैक्नॉलॉजी पार्क, वार्ड नं. 6, एन.एच. 11, आगरा-जयपुर बाईपास, सेवर, भरतपुर।	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर - कला संकाय:-अंग्रेजी साहित्य।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश-प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता संवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
13. कार्यालय नगर विकास न्यास, भरतपुर के आदेश क्रमांक 19630 दिनांक 31.10.2013 द्वारा प्लॉट नं. 318 क्षेत्रफल 8255.32 वर्गमीटर भूमि शैक्षणिक/संस्थानिक प्रायोजनार्थ रूपान्तरित है।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
5. कुल सचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर